



Food Analyst (Rajasthan)

खाद्य विश्लेषक राज्य की खाद्य प्रयोगशाला का वह अधिकारी है जो खाद्य पदार्थों के नमूनों की जाँच करता है और यह प्रमाणित करता है कि नमूना मानक के अनुरूप है या अपमिश्रित। यह पद खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जोड़ीदार है और दोनों को साथ...



इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/raj-food-analyst

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in



सुशील कुमार शर्मा

प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer



श्री चेनाराम चौधरी

प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer



श्रीमती संघमित्रा

वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)



भरत चौधरी

अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS



सुरेन्द्र सिंह राठौड़

व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना



सुरेश कुमार सैन

व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा



वनिता कुमारी

व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा



कमलेश चौधरी

व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14-17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14-17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

खाद्य विश्लेषक राज्य की खाद्य प्रयोगशाला का वह अधिकारी है जो खाद्य पदार्थों के नमूनों की जाँच करता है और यह प्रमाणित करता है कि नमूना मानक के अनुरूप है या अपमिश्रित। यह पद खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जोड़ीदार है और दोनों को साथ समझना चाहिए: खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाज़ार, मिठाई की दुकान अथवा दुग्ध इकाई से नमूना लेता है; खाद्य विश्लेषक उस नमूने का प्रयोगशाला में विश्लेषण करता है और अपनी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है — और आगे की पूरी कार्यवाही, अभियोजन सहित, उसी रिपोर्ट पर टिकती है। इसीलिए इस पद पर तकनीकी सटीकता का महत्त्व असामान्य रूप से अधिक है: प्रयोगशाला की एक चूक पूरे प्रकरण को गिरा देती है, और दूसरी ओर एक गलत सकारात्मक रिपोर्ट किसी निर्दोष व्यवसायी को अभियोजन में डाल सकती है। यह पद राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में है और 100% सीधी भर्ती से भरा जाता है।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अंतर्गत निर्धारित योग्यता — सेवा नियम इस शर्त को इन्हीं अधिनियम एवं नियमों पर छोड़ देते हैं, इसलिए सटीक योग्यता वहीं देखें
भर्ती संस्था	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान — विज्ञप्ति देखें
आयु-सीमा	22 से 45 वर्ष, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आने वाली 1 जनवरी को — नियम 10(1), जो कनिष्ठ पदों पर लागू है (सेवा नियम 1963) — आरक्षित वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु-सीमा में छूट मिलती है (विवरण नीचे)
आरंभिक वेतन	पे मैट्रिक्स स्तर सेवा नियमों में नहीं दिया — विज्ञप्ति देखें
माँग	100% सीधी भर्ती — इस पद पर पदोन्नति से कोई नियुक्ति नहीं होती

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- रसायन, जैव रसायन एवं प्रयोगशाला विश्लेषण में रुचि
- खाद्य विज्ञान एवं गुणवत्ता मानकों का काम

- जनस्वास्थ्य से जुड़ी तकनीकी भूमिका

क्षमताएँ

- अत्यंत सटीकता — रिपोर्ट पर अभियोजन टिकता है
- दबाव में निष्पक्ष रहना, क्योंकि रिपोर्ट के आर्थिक परिणाम होते हैं
- व्यवस्थित कार्यशैली एवं मानक प्रक्रियाओं का कठोर पालन

ज़रूरी कौशल

- खाद्य नमूनों का रासायनिक एवं सूक्ष्मजैविक विश्लेषण
- यंत्रिय विश्लेषण — क्रोमैटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एवं संबंधित विधियाँ
- प्रयोगशाला गुणवत्ता आश्वासन, अंशांकन एवं प्रत्यायन (एन.ए.बी.एल.)
- अपमिश्रण की पहचान एवं मानक से तुलना
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा उसके नियमों की जानकारी
- विश्लेषण रिपोर्ट लेखन एवं आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में साक्ष्य

4 कैसे पहुँचें

- 1 कक्षा 12 विज्ञान (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान अथवा गणित) उत्तीर्ण करें।
- 2 रसायन, जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान अथवा खाद्य प्रौद्योगिकी जैसे विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की दिशा में बढ़ें। यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से कही जा रही है: इस पद की सटीक योग्यता इस पृष्ठ पर नहीं लिखी गई, क्योंकि राज्य के सेवा नियम उसे स्वयं निर्धारित नहीं करते — वे उसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा उसके नियम 2011 पर छोड़ देते हैं।
- 3 इसलिए अगला कदम यह है कि योग्यता की शर्त सीधे स्रोत पर पढ़ें — भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की वेबसाइट पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 उपलब्ध हैं, और खाद्य विश्लेषक की योग्यता वहीं निर्धारित है। नियम "समय-समय पर यथासंशोधित" कहता है, इसलिए वर्तमान संशोधित पाठ ही देखना चाहिए, कोई पुराना सारांश नहीं।
- 4 आयु 22 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह कनिष्ठ पदों वाला नियम 10(1) है; इन्हीं नियमों का नियम 10(2) चयन एवं वरिष्ठ पदों के लिए 25 से 45 वर्ष कहता है।
- 5 प्रयोगशाला का व्यावहारिक अनुभव इस राह पर बहुत काम आता है — खाद्य, औषधि अथवा जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में काम करने से वही कौशल बनते हैं जो इस पद पर रोज़ चाहिए, और वह अवधि वेतन के साथ बीतती है।
- 6 विज्ञप्ति आने पर आवेदन करें और उसमें दी गई योग्यता की शर्त को नियम 2011 के वर्तमान पाठ से मिलाकर देखें।

प्रमुख परीक्षाएँ

- यह पद नियमों की अनुसूची में कनिष्ठ पदों के अंतर्गत क्रमांक 14 पर है और 100% सीधी भर्ती से भरा जाता है — इसके आगे पदोन्नति का कोई प्रतिशत नहीं है।
- इसी कारण इस पृष्ठ पर कोई डिग्री-सूची नहीं दी गई है। इस परियोजना ने वे केंद्रीय नियम नहीं पढ़े, इसलिए उनसे कोई शर्त उद्धृत करना अनुमान होता — और अनुमान से लिखी गई योग्यता वही भूल है जिससे यह परियोजना बार-बार बची है। जो पढ़ा गया वह यह है कि राज्य नियम शर्त को कहाँ भेजते हैं, और वही यहाँ लिखा गया है।
- यह नाम-परिवर्तन अकेला नहीं था और यही इसे उपयोगी बनाता है। उसी अधिनियम के कारण खाद्य निरीक्षक (Food Inspector) का नाम बदलकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी हुआ — वह इसी वेबसाइट पर अलग पृष्ठ है। अर्थात् एक ही कानूनी परिवर्तन ने क्षेत्र के अधिकारी एवं प्रयोगशाला के विश्लेषक, दोनों के नाम बदल दिए। जो अभ्यर्थी खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता है उसे दोनों पद एवं दोनों पुराने नाम जानने चाहिए।
- योग्यता की शर्त इस पद पर असामान्य ढंग से लिखी गई है और उसे ठीक-ठीक समझना आवश्यक है। सेवा नियम स्वयं कोई डिग्री नहीं गिनाते; वे कहते हैं कि योग्यता वही होगी जो "खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के अंतर्गत, समय-समय पर यथासंशोधित" निर्धारित है। इसे संदर्भ द्वारा योग्यता कहते हैं, और इसका व्यावहारिक अर्थ दो हैं: पहला, सटीक शर्त राज्य के नियमों में खोजने से नहीं मिलेगी; दूसरा, वह शर्त केंद्रीय नियमों में संशोधन होते ही बदल सकती है, बिना राज्य के सेवा नियम बदले।
- नाम-परिवर्तन की एक बात अनुसूची की टिप्पणी में दर्ज है और वह इस पद का इतिहास बताती है: "5 अगस्त 2011 से पूर्व लोक विश्लेषक (Public Analyst) के रूप में की गई सेवा खाद्य विश्लेषक के रूप में की गई सेवा में सम्मिलित मानी जाएगी।" अर्थात् यह पद पहले लोक विश्लेषक कहलाता था और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के लागू होने पर इसका नाम बदला। पुराने अभिलेखों अथवा पुरानी विज्ञप्तियों में यह पद उसी नाम से मिलेगा।
- इन दोनों पदों का संबंध व्यावहारिक रूप से भी समझने योग्य है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूना लेता है और उसकी प्रक्रिया की सूक्ष्मता पर प्रकरण टिकता है; खाद्य विश्लेषक उस नमूने की जाँच करता है और उसकी रिपोर्ट पर अभियोजन टिकता है। दोनों में से किसी एक की चूक पर्याप्त है — इसलिए दोनों पदों पर प्रक्रिया का अनुशासन ही मुख्य कौशल है।

- ध्यान दें — यह पद सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूचियों में नहीं है, इसलिए इसके लिए सी.ई.टी. उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं।
- ऊपरी आयु-सीमा में छूट — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; तथा इन्हीं वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी पद के आगे लिखी बिना छूट वाली आयु किसी आरक्षित वर्ग की महिला के लिए दस वर्ष कम बताती है — यदि आप उस श्रेणी में हैं तो अपनी पात्रता छूट जोड़कर ही तय करें। राजस्थान में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद श्रेणीवार आरक्षित रहते हैं। विधवा एवं परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा नहीं — नियमों में यही शब्द हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 13(9) में, तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों के इसी परंतुक में यह प्रावधान दर्ज है, और आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्तियाँ भी इसे दोहराती हैं। विधवा को सक्षम अधिकारी से पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और परित्यक्ता को तलाक का प्रमाण देना होता है। छूट एवं आरक्षण की सटीक शर्तें उसी भर्ती की विज्ञप्ति में दी जाती हैं।

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- State universities of Rajasthan — M.Sc. in Chemistry, Biochemistry and Microbiology — जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा (<https://hte.rajasthan.gov.in/>)
- Rajasthan agricultural universities — food technology and dairy technology — बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर (<https://raubikaner.org/>)
- National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM) — कुडली, हरियाणा एवं तंजावुर (<https://niftem.ac.in/>)
- State food laboratories and testing laboratories — where the practical experience is built — राजस्थान में

ऑनलाइन

- FSSAI — the Food Safety and Standards Rules, 2011, where this post's qualification is actually prescribed — योग्यता की शर्त यहीं पढ़ें, राज्य के सेवा नियमों में नहीं (<https://www.fssai.gov.in/>)
- India Code — the Food Safety and Standards Act, 2006 — भारत सरकार (<https://www.indiacode.nic.in/>)
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान — यही वह विभाग है जिसमें यह पद आता है (<https://rajswasthya.rajasthan.gov.in/>)

- NABL — laboratory accreditation, which state food laboratories work under — भारत सरकार (<https://nabl-india.org/>)
- आर.एस.एस.बी. — पिछले प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी व पाठ्यक्रम (निःशुल्क) — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक साइट — तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद निःशुल्क सामग्री (https://rsmssb.rajasthan.gov.in/show_archived?menuName=Xj4lCb9vGxpQnfls%2FxlZ2g%3D%3D)
- विभागीय सेवा नियम (कार्मिक विभाग) — पद की योग्यता व आयु मूल दस्तावेज़ में पढ़ें — कार्मिक विभाग हर संवर्ग के सेवा नियम प्रकाशित करता है। किसी भी कोचिंग सामग्री से पहले यही पढ़ें — योग्यता, आयु और भर्ती की विधि यहीं तय होती है। (<https://dop.rajasthan.gov.in/>)
- स्वयं (SWAYAM) — भारत सरकार के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स — निःशुल्क (<https://swayam.gov.in/>)
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) — निःशुल्क पुस्तकें व अध्ययन सामग्री (<https://ndli.iitkgp.ac.in/>)
- एन.सी.ई.आर.टी. — निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें — सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान की नींव (<https://ncert.nic.in/>)

फ़्रीस

रसायन, जैव रसायन अथवा सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में बहुत कम शुल्क पर हो जाते हैं, और खाद्य प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है — इस दिशा में बढ़ने के लिए महँगी पढ़ाई आवश्यक नहीं। इस पद की तैयारी की एक विशेष बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण सामग्री निःशुल्क एवं आधिकारिक है: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, उसके नियम एवं विनियम, तथा खाद्य मानकों की सूचियाँ सब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं — और यही वह दस्तावेज़ है जिसमें इस पद की योग्यता की शर्त भी लिखी है। अर्थात् एक ही स्रोत पात्रता भी बताता है और कार्य-आधार भी। प्रयोगशाला का अनुभव अर्जित करने की अवधि वेतन के साथ बीतती है, इसलिए वह खर्च नहीं आय है।

छात्रवृत्तियाँ

- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana (free coaching, apply via SSO) (<https://sso.rajasthan.gov.in/signin>)
- Rajasthan Social Justice and Empowerment Dept scholarships (<https://sje.rajasthan.gov.in/>)
- National Scholarship Portal (NSP) (<https://scholarships.gov.in/>)
- Buddy4Study scholarship search (<https://www.buddy4study.com>)

6 काम कैसा होता है

कहाँ काम

राज्य की खाद्य प्रयोगशालाएँ एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विश्लेषण इकाइयाँ। काम लगभग पूरा प्रयोगशाला के भीतर होता है, और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बाहर जाना पड़ता है।

कार्य-संस्कृति

प्रयोगशाला का काम शांत एवं नियमित होता है — घंटे निश्चित रहते हैं और दिनचर्या क्षेत्र-पदों से कहीं अधिक स्थिर। इसका स्वभाव प्रक्रिया का है: नमूना प्राप्त करने, उसे सुरक्षित रखने, विश्लेषण करने एवं रिपोर्ट देने तक हर चरण निर्धारित है, और उसी अनुशासन पर परिणाम की विश्वसनीयता टिकी होती है। इस पद का दबाव उसकी शांति से मेल नहीं खाता, और यही इसकी विशेषता है: जिस रिपोर्ट पर आप हस्ताक्षर करते हैं, उसी पर किसी व्यवसायी के विरुद्ध अभियोजन चलेगा अथवा नहीं चलेगा — इसलिए बाहर से दबाव आना स्वाभाविक है, और उसका उत्तर केवल प्रक्रिया की सटीकता है। समय-सीमा भी वास्तविक है, क्योंकि खाद्य विधि के अंतर्गत विश्लेषण रिपोर्ट निर्धारित अवधि में देनी होती है, और त्योहारों के आसपास नमूनों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है — वही समय जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी सबसे अधिक नमूने लेते हैं। काम का श्रेय अदृश्य रहता है: समाचार में मिलावट पकड़े जाने की खबर आती है, प्रयोगशाला का नाम नहीं आता, यद्यपि वह खबर उसी रिपोर्ट से बनी होती है।

कौन नौकरी देता है

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान — राज्य खाद्य प्रयोगशालाएँ
- खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय से जुड़ी विश्लेषण इकाइयाँ
- अनुभव अर्जित करने हेतु — खाद्य, औषधि एवं जल परीक्षण की मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाएँ

माँग (2026)

खाद्य सुरक्षा का ढाँचा 2006 के अधिनियम के बाद लगातार मज़बूत हुआ है और नमूनों की संख्या बढ़ी है, इसलिए विश्लेषण क्षमता की आवश्यकता बनी रहती है — खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितने अधिक नमूने लेंगे, प्रयोगशाला पर उतना ही भार आएगा, और दोनों पदों की संख्या एक-दूसरे से जुड़ी रहती है। फिर भी यह संवर्ग बहुत छोटा है और इसे स्पष्ट कहा जाना चाहिए: राज्य में खाद्य प्रयोगशालाओं की संख्या सीमित है, इसलिए खाद्य विश्लेषक के पद खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तुलना में बहुत कम हैं — 2022 की विज्ञप्ति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 200 पद थे, जबकि विश्लेषक का संवर्ग उसका छोटा-सा अंश है। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि इस पद को अकेला लक्ष्य बनाना उचित नहीं। उचित यह है कि रसायन, जैव रसायन अथवा खाद्य प्रौद्योगिकी की योग्यता को व्यापक रूप में देखा जाए — खाद्य उद्योग की गुणवत्ता-नियंत्रण इकाइयाँ, औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएँ, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, तथा निजी प्रत्यायित प्रयोगशालाएँ सब इसी योग्यता से खुलती हैं, और यह सरकारी पद उनमें एक विकल्प हो। पदों की संख्या विभाग की आवश्यकता बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। एक बात स्पष्ट रहे — ऊपर दी गई "माँग" पदों की संख्या बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। चयन खुली प्रतियोगिता से होता है और आवेदन करने वालों की संख्या पदों से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी किसी एक भर्ती में चयनित नहीं हो पाते। यह इस करियर के विरुद्ध तर्क नहीं है — बस इसे अपनी एकमात्र योजना न बनाएँ। तैयारी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखें या कोई कौशल सीखें, ताकि परिणाम चाहे जो हो, वर्ष व्यर्थ न जाए।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

- 1 खाद्य विश्लेषक — प्रवेश का पद, 100% सीधी भर्ती (पूर्व नाम: लोक विश्लेषक)
- 2 वरिष्ठ विश्लेषक स्तर के पद — नियमों में इनके लिए लोक विश्लेषक अथवा खाद्य विश्लेषक के रूप में 10 वर्ष कार्य करने की शर्त दर्ज है
- 3 राज्य खाद्य प्रयोगशाला में पर्यवेक्षी एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व

कमाई

शुरुआत	विज्ञप्ति में घोषित पे मैट्रिक्स स्तर के अनुसार
मध्य स्तर	₹60,000 – ₹80,000 (भत्तों सहित, कुछ वर्षों बाद)
वरिष्ठ स्तर	₹95,000 से अधिक (भत्तों सहित, वरिष्ठ स्तर पर)

1963 के सेवा नियमों में इस पद के लिए पे मैट्रिक्स का स्तर नहीं दिया गया, इसलिए आरंभिक वेतन इस पृष्ठ पर आँकड़े के रूप में नहीं लिखा गया — वह उसी चक्र की विज्ञप्ति में मिलेगा। ऊपर दिए मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के आँकड़े अनुमानित हैं और किसी आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं; उन्हें दिशा समझें, वचन नहीं। शुरुआती वेतन का आँकड़ा मूल वेतन है, ताकि इसे दूसरे करियर के साथ सीधे तुलना किया जा सके। इस पर महँगाई भत्ता (1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60%) एवं मकान किराया भत्ता अलग से जुड़ते हैं, इसलिए हाथ में आने वाली राशि इससे काफ़ी अधिक होती है। मध्य-स्तर व वरिष्ठ स्तर के आँकड़े भत्तों सहित अनुमानित मासिक आय हैं, मूल वेतन नहीं। ध्यान दें — राजस्थान में सीधी भर्ती से लगे कर्मचारी पहले 2 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रहते हैं और इस अवधि में वेतनमान नहीं, बल्कि एक नियत पारिश्रमिक मिलता है; इन दो वर्षों में महँगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होते (राजस्थान सेवा नियम, नियम 7(30क))। पूरा वेतनमान परिवीक्षा पूरी होने के बाद लागू होता है। इस पद का पे मैट्रिक्स स्तर इस पृष्ठ पर आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं किया जा सका — न सेवा नियमों में, न सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूची में। इसलिए यहाँ कोई स्तर नहीं लिखा गया है। सही आँकड़ा उस भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति में दिया जाता है; आवेदन से पहले उसे अवश्य देखें। ऊपर दिए गए आँकड़े राजस्थान के सातवें वेतन मैट्रिक्स पर आधारित हैं, जो 17 अगस्त 2026 तक लागू है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की शर्तें 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत हुई थीं और आयोग को गठन से 18 माह के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ, और कुछ देर से, लागू करती हैं — इसलिए राजस्थान का वेतनमान भी आगे संशोधित होगा, यद्यपि कब और कितना, यह अभी तय नहीं है।

8 अच्छी बातें • चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- प्रयोगशाला का शांत एवं नियमित कार्य-वातावरण
- 100% सीधी भर्ती — प्रवेश पर पदोन्नति से प्रतिस्पर्धा नहीं
- पात्रता एवं कार्य-आधार दोनों एक ही निःशुल्क स्रोत — एफ.एस.एस.ए.आई. के नियमों — में मिलते हैं
- वही योग्यता खाद्य उद्योग, औषधि परीक्षण एवं प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में भी चलती है

चुनौतियाँ

- संवर्ग बहुत छोटा — प्रयोगशालाएँ सीमित हैं, इसलिए पद खाद्य सुरक्षा अधिकारी से बहुत कम
- योग्यता संदर्भ द्वारा निर्धारित है, इसलिए उसे केंद्रीय नियमों में जाकर पढ़ना पड़ता है और वह संशोधन से बदल सकती है
- रिपोर्ट पर अभियोजन टिकने के कारण बाहरी दबाव आता है
- त्योहारों के आसपास नमूनों का भार कई गुना बढ़ जाता है
- काम का श्रेय अदृश्य रहता है — खबर मिलावट की बनती है, प्रयोगशाला की नहीं

9 स्रोत व आगे पढ़ें

1. कार्मिक विभाग, राजस्थान — राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 — https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/202312050451522144998Medical1963_merged.pdf
2. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण — खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 (इस पद की योग्यता यहीं निर्धारित है) — <https://www.fssai.gov.in/>

3. इंडिया कोड — खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 — <https://www.indiacode.nic.in/>
4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान — <https://rajswasthya.rajasthan.gov.in/>
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आधिकारिक) — <https://rssb.rajasthan.gov.in/>
6. कार्मिक विभाग, राजस्थान — सेवा नियम — <https://dop.rajasthan.gov.in/>
7. आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग — मंत्रिमंडल की स्वीकृति (पी.आई.बी., 28 अक्टूबर 2025) — <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289>

**और 770+ करियर — पूरा पोर्टल**

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gsssjethantri.in